सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 07.04.2026

- ***#इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता***
- ***#मात्र 12 घण्टे में चोरी की घटना का अनावरण***
- **इटावा पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये चाँदी के आभूषण, उपकरण एवं लाइसेन्सी रिवाल्वर, अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त लोहे का सरिया बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भरथना पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.04.2026 को वादिनी रीता देवी पत्नी उपदेश कुमार निवासी मोहल्ला गोविन्द नगर थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर सूचना दी गयी कि दिनांक 27.03.2026 को वह ग्राम भाइपुरा थाना अछल्दा गयी थी एवं जब वह दिनांक 06.04.2026 को वापस आयी तो उसके घर से अज्ञात चोरों द्वारा लाइसेन्सी रिवाल्वर, एलईडी टी.वी. , चाँदी के आभूषण आदि सामान चोरी कर लिया गया।

सूचना पर तत्काल थाना भरथना पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध / आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 07.04.2026 को थाना भरथना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 92/2026 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को बाहरपुरा के आगे अनैया नदी के नये निर्माणाधीन पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा नाम-पता पूछते हुये उनकी तलाशी ली गयी तो उनके कब्जे से 02 चाँदी की पायल, 01 चाँदी की करधनी, 02 चाँदी के चूड़ा, 01 अवैध चाकू, 01 रिवाल्वर 0.22 बोर, 02 चाँदी की तोड़ियाँ, 01 एलईडी टीवी, 01 लोहे की सरिया बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी, बरामदगी के संबंध में थाना भरथना पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 92/26 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस में धारा 317(2) बी0एन0एस0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. भोला उर्फ भोले उर्फ साहिल पुत्र भोलू निवासी मोहल्ला गिहार नगर कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 19 वर्ष।
2. समीर उर्फ फुल्ली पुत्र विनोद कुमार निवासी मोहल्ला गिहार नगर कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 92/26 धारा 305(a)/331(4) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त भोला उर्फ भोले उर्फ साहिल पुत्र भोलू

1. **मु0अ0सं0 416/2020 धारा 380/411 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।**
2. **मु0अ0सं0 91/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना भरथना जनपद इटावा।**
3. मु0अ0सं0 92/26 धारा 305(a)/331(4) BNS व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 02 चाँदी की पायल
2. 01 चाँदी की करधनी
3. 02 चाँदी के चूड़ा
4. 01 अवैध चाकू
5. 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर 0.22 बोर
6. 02 चाँदी की तोड़ियाँ
7. 01 एलईडी टीवी
8. 01 लोहे की सरिया। **(घटना में प्रयुक्त)**

पुलिस टीम- प्रभारी निरी0 विक्रम सिंह थाना भरथना, निरी0 अपराध अरिमर्दन सिंह, उ0नि0 तन्मय चौधरी, का0 सोनवीर, का0 गौरव कुमार , का0 अजय कुमार।

नोटः- **उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 10,000/- रूपये से पुरस्कृत किया गया।**